(iii) वित्तीय वर्ष का प्राप्ति और भुगतान लेखा

11. **शैक्षणिक कलेण्डरः** – (1) सम्बंधन प्रदान करने वाले निकाय के लिए, इन विनियमों के अधीन परिशिष्ट 1 से 15 में निर्दिष्ट कार्यक्रमों में से प्रत्येक कार्यक्रम के संबंध में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरम्भ से कम से कम तीन महीने पहले समय सूची अथवा शैक्षणिक कलेण्डर निर्धारित करके अध्यापक शिक्षा संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया को विनियमित करना तथा निम्न विवरण उपलब्ध कराके समुचित प्रचार करना जरूरी होगा।

(क) दाखिलों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना के प्रकाशन की तारीखः

(ख) प्रत्येक कार्यक्रम के लिए दाखिले के वास्ते आवेदन पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तारीखः

(ग) चयन परीक्षा अथवा इन्टरव्यू की तारीखः

(घ) अभ्यर्थियों की पहली, दूसरी तथा तीसरी सूची तथा दाखिले के समापन की अंतिम तारीख के प्रकाशन की तारीख

(2) यह समूची प्रक्रिया दाखिले की सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन की अवधि में पूरी कर ली जाएगी। संबंधन प्रदान करने वाला निकाय उसके द्वारा अधिसूचित समय–सूची अथवा शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन करेगा। दाखिले की समाप्ति के बाद प्रत्येक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान संबंधित संबंधन प्रदान करने वाले अथवा परीक्षा निकायों को दाखिले की समाप्ति की अंतिम तारीख से दो दिनों के भीतर दाखिल छात्रों की सूची प्रस्तुत करेगा जोकि संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा।

12. **ढ़ील देने का अधिकार**

केन्द्रीय सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र प्रशासन की सिफारिशों पर अथवा केवल इन विनियमों के प्रावधानों का पालन करने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए उक्त राज्य अथवा संघशासित क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को संबंधित राज्य अथवा संघशासित क्षेत्र में संस्थानों की किसी एक श्रेणी या वर्ग के बारे में इन विनियमों के प्रावधानों में ऐसे कारणों से, जो लिखित रूप में रिकार्ड किए जाएंगे उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन ढील देने के लिए सक्षम होंगे जोकि ढील देने वाले आदेश में निर्दिष्ट की जाएंगी और निर्णय परिषद की जानकारी में लाए जाएंगे। तथापि, अपवादात्मक मामलों में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा विनियमों और संबंधित मानदंडों और मानकों के प्रावधानों में ढील देने का अधिकार होगा परन्तु लिखित में निर्णय के कारणों का उल्लेख करते हुए परिषद् द्वारा संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. निरसन और व्यावृत्तिः –(1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2009 का एतदद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के बावजूद, एतदद्वारा जिन विनियमों का निरसन किया गया है उनके अधीन किया गया कोई भी कार्य अथवा की गई कार्रवाई अथवा किए जाने के लिए अभिप्रेत अथवा की गई कार्रवाई जहां तक वह इन विनियमों के प्रावधानों के प्रति परस्पर विरोधी नहीं है, इन विनियमों के तदनुरूपी प्रावधानों के अधीन की गई अथवा ली गई समझा जाएगा।

जुगलाल सिंह, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./131ए/14]

परिशिष्ट–1

विद्यालय–पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (डीपीएसई) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के लिए मानदंड और मानक

1. **प्रस्तावना**

1.1 विद्यालय पूर्व शिक्षा का उद्देश्य एक अधिगम वातावरण अर्थात् आनन्दपूर्ण, बाल–केन्द्रित, खेल तथा क्रियाकलाप आधारित वातावरण में समग्र बाल विकास करना है। डीपीएसई का मौजूदा कार्यक्रम जिसे पूर्व में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में डिप्लोमा (डी.ई.सी.एड.) कहा जाता था का उद्देश्य विद्यालय पूर्व कार्यक्रमों के लिए जिनकी पेशकश नर्सरी स्कूलों, किंडरगार्टन स्कूलों तथा प्रारंभिक स्कूलों जैसे विभिन्न नामों के अधीन की जाती है अध्यापक तैयार करना है। यह कार्यक्रम 3 से 6 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को कवर करेगा।

2. **अवधि तथा कार्य दिवस**

2.1 **अवधि**

डीपीएसई कार्यक्रम की अवधि 2 शैक्षणिक वर्ष होगी। तथापि छात्रों को कार्यक्रम में दाखिले की तारीख से 3 वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर कार्यक्रम पूरा करने की छूट होगी।

2.2 **कार्यकारी दिवस**

(क) परीक्षा और दाखिले की अवधि को छोड़कर प्रत्येक वर्ष में कम से कम 200 कार्य–दिवस होंगे।

संस्थान प्रत्येक सप्ताह 5 अथवा 6 दिन के लिए कम से कम 36 घंटे काम करेगा जिसके दौरान संस्थान में अध्यापकों तथा छात्र–अध्यापकों की वास्तविक उपस्थित जरूरी है ताकि जब कभी जरूरत हो सलाह, मार्ग दर्शन, वार्ता और परामर्श के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ख) सभी पाठ्यक्रम कार्य और व्यवहार के लिए छात्र–अध्यापकों की न्यूनतम उपस्थिति 80% होगी तथा स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए 90% होगी।

3. दाखिला, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया और फीस(शुल्क)

3.1 दाखिला

प्रतिवर्ष 50 छात्रों का एक बुनियादी युनिट होगा। शुरू में दो बुनियादी युनिट रखे जा सकते हैं। तथापि सरकारी संस्थानों को अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति के अध्यधीन 4 युनिटों का न्यूनतम दाखिला मंजूर किया जा सकता है।

3.2 पात्रता

(i) उच्च माध्यमिक (+2) अथवा इसकी समतुल्य परीक्षा में कम से कम पचास प्रतिशत(50%) अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी दाखिले के लिए पात्र हैं।

(ii) एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी तथा अन्य श्रेणियों के लिए सीटों के आरक्षण और अंकों में छूट जहां कहीं लागू है सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी।

3.3 प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश अर्हता परीक्षा अथवा प्रवेश परीक्षा, अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

3.4 फीस

संस्थान केवल संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित राअशिप(शिक्षण शुल्क तथा गैर–सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा प्रभार्य कोई अन्य फीस के विनियमन के लिए मार्गनिर्देश विनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित फीस ही लेगा तथा छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

4. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वियन तथा मूल्यांकन

4.1 पाठ्यचर्या

डीपीएसई कार्यक्रम बाल्यावस्था के अध्ययन शिक्षा के सामाजिक संदर्भ, विषय ज्ञान, शैक्षणिक उद्देश्यों, शिक्षा के उद्देश्य और संचार कौशल को समाकलित करने के लिए तैयार किया जाएगा। इसकी परिकल्पना स्कूलपूर्व स्तर पर बच्चों के लिए अध्यापक तैयार करने के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में की गई है। पाठ्यचर्या में तीन स्थूल घटक होंगे: (क) सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम जिन्हें प्रायोगिक अन्तर्वस्तु से संपूरित किया जाएगा (ख) प्रायोगिक कार्य अर्थात् स्वअधिगम/विकास तथा (ग) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण अर्थात स्कूल–पूर्व में बच्चों के साथ प्रवृत्त होगा। सिद्धान्त और प्रायोगिक पाठ्यक्रमों को संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा निर्धारित अनुपात में भागिता दी जाएगी। तथापि एक और सैद्धान्तिक घटक तथा प्रायोगिक कार्य में और दूसरी और स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के बीच समान अनुपात बनाए रखना वांछनीय होगा। क्लासरूम शिक्षाशास्त्र और प्रक्रियाएं अन्योन्याक्रियापूर्ण और सहभागितापूर्ण होंगी, समावेशी क्लासरूम दृष्टिकोण, ट्यूटोरियल, मार्गदर्शन तथा मिश्रित विधियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

आईसीटी, लिंग, योग शिक्षा और विक्लांगता, समावेशी शिक्षा डीपीईएस पाठ्यचर्या का एक अविभाज्य हिस्सा होगा:

(क) सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम

मनोवैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से बच्चे के बोध के समाकलन और संतुलन तथा बाल विकास और प्रारंभिक के बाल्यावस्था सांतत्य सहित भाषा, गणित और पर्यावरणात्मक अध्ययन के ठोस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम आमतौर पर आधारिक पाठ्यक्रमों तथा अन्तर्वस्तु और शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रमों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।

आधारिक पाठ्यक्रमों में निम्न शामिल होंगे:

- भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा
- बच्चे और बाल्यावस्था को समझना
- बच्चे का स्वास्थ्य और पोषण
- लिंग, विविधता और भेदभाव अन्तर्वस्तु

शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रम में शामिल होंगे:

- स्कूल–पूर्व शिक्षा पाठ्चर्या: सिद्धान्त और प्राथमिकताएं

- स्कूल–पूर्व शिक्षा के लिए विधियां तथा सामग्री
- बच्चों में गणितीय अवधारणाएं विकसित करना
- बच्चों में भाषा और साक्षरकता विकसित करना
- पर्यावरण का बोध विकसित करना
- स्कूल–पूर्व शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन और आयोजन
- विशेष जरूरतों वाले बच्चों के साथ काम करना
- माता–पिता और समुदाय के साथ काम करना

(ख) प्रायोगिक कार्य

प्रत्येक सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के साथ सहयोगी प्रायोगिक कार्य होंगे। सैद्धान्तिक कक्षाओं के साथ प्रायोगिक कार्यों का उद्देश्य छात्र–अध्यापकों को इस इस योग्य बनाना है कि वे(क) सिद्धान्त को क्षेत्रीय स्थिति के साथ जोड़कर उसका आन्तरीकरण करना अथवा उसे बेहतर समझना तथा (ख) उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय क्षमताएं और कौशल विकसित करता है। सिद्धान्त का समर्थन करने वाले क्रियाकलापों में शामिल हो सकते हैं बच्चों/परिवारों/संस्थानों का प्रेक्षण; मामला अध्ययन करना अध्यापन–'अधिगम सामग्रियां, सहायक सामग्रियां तथा क्रियाकलाप योजनाएं निर्मित करना और व्यवहार में लाना; विभिन्न विकासात्मक तथा विषय क्षेत्रों से संबंधित क्रियाकलाप तथा विषय क्षेत्रों से संबंधित क्रियाकलाप आयोजि करना; तथा सतत और व्यापक मूल्यांकन तैयार करना।

(ग) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण (इंटर्नशिप)

इसकी एक त्रिअवस्था प्रक्रिया के रूप में कल्पना की गई है; अवस्था 1: विभिन्न स्थितियों में स्कूल पूर्व कक्षाओं का प्रेक्षण; अवस्था 2: दिन के एक हिस्से के लिए स्कूल पूर्व कक्षाओं में नियोजित अभ्यास शिक्षण तथा अवस्था 3; प्रावधानों की श्रृंखला–सरकारी, निजी, एनजीओ के बीच स्कूल पूर्व कार्यक्रमों में पूर्णकालिक स्थानबद्ध प्रशिक्षण अथवा निमज्जन।

दो वर्ष की अवधि के दौरान कम से कम स्कूल–पूर्व में 20 सप्ताह के स्थानबद्ध प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। पहले वर्ष में इनमें से चार सप्ताह क्लासरूम प्रेक्षण आदि के प्रति समर्पित होंगे तथा दूसरे वर्ष 16 सप्ताह स्कूल–पूर्व स्थानबद्ध प्रशिक्षण के प्रति समर्पित होंगे।

(घ) संस्थान के पास छात्र अध्यापकों के लिए क्षेत्रीय कार्य और अभ्यास शिक्षण क्रियाकलापों के वास्ते मान्यताप्राप्त स्कूलों में पर्याप्त संख्या में स्कूल–पूर्व सम्बद्ध होंगे। संस्था को कम से कम दस स्कूल–पूर्व/पूर्व–प्राथमिक स्कूलों के साथ एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसका कार्यक्रम के स्थानबद्ध प्रशिक्षण तथा अन्य स्कूल आधारित क्रियाकलाप करने देने के लिए उनकी तत्परता निर्दिष्ट की कई हो। ये स्कूल–पूर्व कार्यक्रम के दौरान प्रायोगिक कार्य क्रियाकलापों और संबंधित कार्य के लिए सम्पर्क बिन्दु का निर्माण करेंगे। राज्य शिक्षा विभाग का जिला/ब्लाक कार्यालय विभिन्न टीईआई को स्कूल आबंटित करेगा।

4.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन

कालेज/संस्थान को अध्ययन के व्यावसायिक कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित विशिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करनी होगी:

(i) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण सहित सभी क्रियाकलाप के लिए कैलेंडर तैयार करना, स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण और अन्य स्कूल सम्पर्क कार्यक्रम स्कूल के शैक्षणिक–कैलेंडर के साथ समकालिक रखे जाएंगे।

(ii) नियतकालिक आधार पर छात्रों के लिए संगोष्ठियां, वार्ताएं, लेक्चर तथा चर्चा–समूह आयोजित करके शिक्षा पर चर्चा शुरू कराना।

(iii) मूल विषय–क्षेत्रों के साथ संकाय के वैचारिक आदान–प्रदान सहित शैक्षणिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करना; संकाय सदस्यों को शैक्षणिक प्रयासों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और विशेष रूप से प्रारंभिक स्कूलों के स्कूल–पर्वू सैक्शनों में अनुसंधान में प्रवृत्त होना। विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों में अनुसंधान/शिक्षण करने के लिए संकाय के लिए छुट्टी का प्रावधान।

(iv) स्कूल–पूर्व के लिए सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना ताकि विचारशील चिन्तन और महत्वपूर्ण जिज्ञासात्मक कौशल विकसित करने में छात्रों की मदद की जा सके। छात्र सतत और व्यापक मूल्यांकन रिपोर्टें और प्रेक्षण रिपोर्टें बनाए रखेंगे जो विचारशील चिन्तन के अवसर प्रदान करती है।

(v) स्कूल–पूर्व के लिए संसाधनों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए और पाठ्यचर्या तथा अध्यापक शिक्षा संस्थानों के संचालन – दोनों के माध्यम से अध्यापक शिक्षा संस्थान और स्कूल–पूर्व के बीच भागीदारी प्रोत्साहित की जानी चाहिए।

(vi) संस्थान में छात्रों और संकाय की शिकायतों की ओर ध्यान देने के लिए तंत्र और प्रावधान होने चाहिए।

(vii) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए आईआईटी तथा सहभागी स्कूल मानीटरन, पर्यवेक्षण, पता रखने और छात्र अध्यापकों का मूल्यांकन करने के लिए एक पारस्परिक रूप से सहमत तंत्र स्थापित करेंगे।

4.3 मूल्यांकन

प्रत्येक सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों के लिए आन्तरिक मूल्यांकन के लिए कम से कम 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तथा परीक्षण निकाय द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत अंक–आबंटित किए जाने चाहिए; तथा कुल अंकों/भारिता का एक चौथाई, क्लासरूम प्रेक्षणों में छात्र के निष्पादन और स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण को 16 सप्ताह के मूल्यांकन को आबंटित किया जाएगा। आन्तरिक और बाह्य मूल्यांकन के लिए भारिता संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा निर्धारित की जाएगी। छात्रों को केवल उनके अध्ययन के यूनिटों के हिस्से के रूप में उन्हें दिए गए परियोजना/क्षेत्रीय कार्य के लिए ही नहीं बल्कि समूचे प्रायोगिक कार्य का आन्तरिक रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन का आधार तथा प्रयुक्त मानदंड छात्रों के लिए पारदर्शी होना चाहिए ताकि व्यावसायिक फीडबैक से छात्र अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। छात्रों को व्यावसायिक फीडबैक के हिस्से के रूप में उनके ग्रेडों/अंकों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें अपना निष्पादन सुधारने का मौका मिल सके। आन्तरिक मूल्यांकन के आधार में वैयक्तिक अथवा सामूहिक कार्य, प्रेक्षण रिकार्ड, डायरियां, विचाराशील पत्रिका आदि शामिल होने चाहिए।

5. स्टाफ

5.1 संकाय

50 छात्रों के बुनियादी यूनिट अर्थात दो वर्षों में 100 छात्रों के लिए पूर्ण कालिक संकाय क्षमता 2 व्यावसायिक सहयोगी स्टाफ सहित न होना। इस संकाय में प्रिसिपल/विभागाध्यक्ष शामिल हैं। पाठ्यक्रमों के बीच संकाय का विभाजन निम्नानुसार होगा।

o प्रिसिपल/विभागाध्यक्ष	एक
o ईसीसीई पाठ्यक्रम, बाल विकास पाठ्यक्रम	दो
o गणित अवधारणाएं	एक
o भाषा और साक्षरता	एक
o पर्यावरणात्मक अध्ययन	एक
o शिक्षा का सामाजिक शास्त्र	एक
व्यावसायिक सहयोगी स्टाफ:	
o सृजनात्मक तथा निष्पादन कलाएं	एक
o स्वास्थ्य और पोषण	एक
o आईसीटी अनुप्रयोग	एक

टिप्पणी: (i) यदि दो वर्षों के लिए छात्रों की संख्या दो सौ है, के संकाय सदस्यों की संख्या बढ़ा कर कम से कम 15 कर दी जानी चाहिए विशेषज्ञता क्षेत्रों तथा कुछेक शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रमों के संकाय का अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के साथ आदान–प्रदान किया जा सकता है।

(ii) संकाय का प्रयोग नमनशील विधि से पढ़ाने के लिए किया जा सकता है ताकि उपलब्ध शैक्षणिक अनुभव को इष्टतम किया जा सके।

5.2 अर्हताएं

(i) **प्रिंसिपल**

(क) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित नीचे दिए अनुसार होंगी।

(ख) प्रारंभिक बाल्यावस्था अध्यापक शिक्षा में पढ़ाने का पांच वर्ष का अनुभाव

(ii) **ईसीसीई तथा बाल विकास में लेक्चरर – दो पद**

(क) 50% अंको सहित प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा/प्रारंभिक बाल विकास में स्नातकोत्तर डिग्री

अथवा

(ख) बाल विकास/मानव विकास/मानव विकास तथा परिवार अध्ययन/प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में विशेषज्ञता सहित 50% अंको के साथ बाल विकास अथवा गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री।

अथवा

(ग) शिक्षा अथवा गृहविज्ञान (सामान्य/संयुक्त) में स्नातकोत्तर डिग्री तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था नर्सरी शिक्षा में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा दोनों में 50% अंक सहित

(iii) **स्कूल विषयों के शिक्षण शास्त्र में लेक्चरर – तीन पद**

संगत विषय में 50% अंको सहित स्नातकोत्तर डिग्री तथा 50% अंको सहित बी.एल.एड/डी.एल.एड/डीपीएसई

(iv) **अन्य क्षेत्रों में लेक्चरर – एक पद**

शिक्षा का सामाजिक शास्त्रः शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा सहित सामाजिक विज्ञान अथवा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री प्रत्येक स्तर पर 50% अंको सहित

(v) **व्यावसायिक सहयोगी स्टाफ : तीन पद**

(क) *सृजनात्मक और निष्पादन कलाएंः* ललित कलाओं अथवा संगीत/नृत्य में 50% अंको सहित स्नातकोत्तर डिग्री अथवा मान्यताप्राप्त संस्थान से तुल्यात्मक अर्हता।

(ख) *स्वास्थ्य और पोषणः* शारीरिक शिक्षा (बी.पी.एड) में 50% अंको सहित डिग्री।

(ग) *आईसीटी अनुप्रयोगः* कम्प्यूटर अनुप्रयोग में 50% अंको सहित स्नातक डिग्री।

5.3 **प्रशासनिक और व्यावसायिक स्टाफ**

(i) पुस्तकालयाध्यक्ष –एक (पूर्णकालिक)

अर्हता

पुस्तकालय विज्ञान में 50% अंको सहित स्नातक डिग्री

(ii) यूडीसी/कार्यालय अधीक्षक –एक

(iii) कम्प्यूटर प्रचालक एवं स्टोरकीपर –एक

स्टोरकीपर

(iv) सहायक –दो

अर्हता

संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित

[टिप्पणीः संयुक्त संस्थान में, प्रिंसीपल तथा शैक्षणिक प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ हो सकता है]

5.4 **सेवा की शर्तें और उपबंध**

शिक्षण और गैर–शिक्षण स्टाफ की चयन प्रक्रिया सहित सेवा की शर्तें और उपबंध, वेतनमान सेवानिवृति की आयु तथा अन्य भत्ते राज्य सरकार/सम्बन्धन प्रदान करने वाले निकाय की नीति के अनुसार होंगे।

6 **सुविधाएं**

6.1 **आधारिक सुविधाएं**

(क) अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के एक यूनिट सहित चलाए जा रहे इस पाठ्यक्रम के एक यूनिट के लिए भूक्षेत्र और निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होना चाहिएः

	निर्मित क्षेत्र(वर्ग मीटर में)	भूक्षेत्र (वर्ग मीटर में)
डीपीएसई	1500 वर्ग मीटर	2500 वर्ग मीटर
डीपीएसई+डीएल.एड	2500 वर्ग मीटर	3000
डीपीएसई + बी.एड + बीए/बी.एससी बी. एड का शिक्षा घटक	3000 वर्ग मीटर	3000
डीपीएसई+बी.एड+एम.एड	3500 वर्ग मीटर	3500
डी.एल.एड+डीपीएसई+बी.एड+एम.एड	4000 वर्ग मीटर	4000

डीपीएसई के एक अतिरिक्त यूनिट के दाखिले के लिए 500 वर्ग मीटर (पांच सौ वर्ग मीटर अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की जरूरत होगी)

(ख) संस्थान के पास निम्न आधारिक सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए:

(i) प्रत्येक 50 छात्रों के लिए न्यूनतम 500 वर्गफुट (पांच सौ वर्गफुट) के न्यूनतम आकार का एक क्लासरूम

(ii) दो सौ छात्रों के बैठने की क्षमता तथा एक डायस सहित बहुद्देशीय हाल जिसका कुल क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट (दो हजार वर्गफुट) होगा

(iii) पुस्तकालय–एवं–संसाधन केन्द्र

(iv) इंटरनेट सुविधा से युक्त कम से कम 10 कम्प्यूटरों सहित आईसीटी संसाधन केन्द्र

(v) पाठ्यचर्या संसाधन केन्द्र

(vi) कला और कार्य अनुभव/संसाधन केन्द्र

(vii) शैक्षिक खिलौना कक्ष

(viii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कक्ष

(ix) प्रिंसिपल का कार्यालय

(x) स्टाफ रूम

(xi) प्रशासनिक कार्यालय

(xii) बालिकाओं का कामन रूम

(xiii) कैंटीन

(xiv) स्टोर रूम (दो)

(xv) पुरूष और महिला छात्र–अध्यापकों, और स्टाफ के लिए अलग–अलग प्रसाधन एवं शौचालय सुविधा कक्ष, जिनमें से एक पी डब्ल्यू डी के लिए होना चाहिए

(xvi) आगन्तुक कक्ष

(xvii) पार्किंग स्थल

(xviii) उद्यानों, बागवानी, क्रियाकलापों, आदि के लिए खुला स्थान

(xix) स्टोर रूम तथा बहुद्देशीय खेल मैदान

अनुदेशात्मक स्थान का आकार प्रतिछात्र 10 वर्गफुट (दस वर्गफुट) से कम नहीं होगा। प्रत्येक क्लासरूम ऐसे आकार का होना चाहिए कि उसमें पचास छात्र–अध्यापक आराम से बैठ सके।

(ग) समुचित खुला स्थान और साथ ही शारीरिक शिक्षा, खेलकूद तथा एथलेटिक्स के लिए इंडोर खेलों की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। खेल के मैदान सहित खेल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(घ) आग के जोखिम के लिए भवन के सभी हिस्सों में सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए।

(ड) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधा–रहित होने चाहिए।

(च) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय हैं।

6.2 उपकरण और सामग्री

(क) *पुस्तकालयी पुस्तकें, पत्रिकाएं और साहित्य:* पाठचर्या रूपरेखा में दी गई पुस्तकों की प्रस्तावित सूची सहित कम से कम 1000 पुस्तकें तथा निम्न होना चाहिए:

(i) बाल विकास, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य, बाल्यावस्था का सामाजिक विज्ञान तथा सम्बन्धित विषय क्षेत्रों सम्बन्धी पुस्तकें ओडीएल संस्थानों/विश्वविद्यालयों की स्वअधिगम सामग्री

(ii) निर्दिष्ट मुद्रित जरनल, ई–जनरल, ई–साम्रगी, आनलाइन संसाधन, ओईआर

(iii) अध्यापकों की पत्रिकाएं और जनरल जैसे कि प्राथमिक अध्यापक, नवतिका, अध्यापक साथी

(iv) बच्चों के जनरल, पत्रिकाएं, क्रियाकलाप पुस्तक

(v) सचित्र कथा पुस्तकों सहित बाल साहित्य, बच्चों के लिए उपन्यासेतर, बाल कविता और तुकान्त कविता संग्रह, कमित प्रारंभिक पठन पुस्तकं, कक्षा I और II के लिए पाठ्यपुस्तक

(vi) अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए उपन्यास तथा उपन्यासेतर (यात्रा संस्मरण, जीवनियां आदि)

(vii) विश्वकोश, शब्दकोश

(ख) *अन्य संसाधन*

(i) श्रव्य–दृश्य उपकरण:: प्रक्षेपण, अनुलिपिकरण तथा टीवी, डिजिटल प्रोजेक्टर, फिल्मों, चार्टों, तसवीरों तथा राट (केवल प्राप्त टर्मिनल), एसआईटी (उपग्रह अन्तः संबंध टर्मिनल) वांछनीय होगें।

(ii) संगीतात्मक वाछयंत्रः साधारण संगीतात्मक वाछयंत्र जैसेकि हार्मोनियम/सिंथेसाइजर, ढ़पली, ढ़ोलक, मंजीरा तथा अन्य स्वदेशी वाछयंत्र।

(iii) सामान्य इन्डोर तथा आउटडोर खेलों के लिए समुचित खेल और खेलकूद उपकरण।

(iv) अध्यापन अधिगम सहायक सामग्रीः

- (क) चार्ट, तस्वीर, माडल
- (ख) कच्चा माल जैसे कि लेखन सामग्री, चार्ट पेपर, माउंट बोर्ड, कपड़ा, काटनवूल आदि (कला और शिल्प क्रियाकलापों के लिए तथा कठपुतलियां, मृदल खिलौने, पिक्चर कार्ड, डोमिनो, वार्ता चार्ट, कथा कार्ड जैसी अधिगम सहायक सामग्री तैयार करने के लिए)
- (ग) कैंची, स्केल आदि जैसे औजार।

(v) विकासात्मक मूल्यांकन पड़ताल सूचियां और मापन औजार

(vi) डिजिटल मल्टीमीडिया संसाधन

(vii) फोटो कापी करने वाली मशीन (वांछनीय)

6.3 अन्य सुविधाएं

- (क) अनुदेशात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक तथा उपर्युक्त फर्नीचर।
- (ख) पुरूष और महिला छात्र–अध्यापकों के लिए अलग अलग कामन रूम।
- (ग) पुरूष और महिला स्टाफ तथा छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में टायलेट।
- (घ) वाहन और वाहन खड़े करने के लिए स्थान।
- (ड) सुरक्षित पेयजल के लिए प्रावधान
- (च) परिसर की नियमित सफाई, जल और टायलेट सुविधाओं, फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन की व्यवस्था।
- (छ) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर, सुविधाएं आदि विकलांग अनुकूल होनी चाहिए।
- (ज) भवन के सभी हिस्सों में आग की आपदा के लिए सुरक्षित उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

टिप्पणीः संयुक्त संस्थान के मामले में, आधारिक तथा अन्य सुविधाएं विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा साझा की जा सकती है।

7. प्रबंधन समिति

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई हो तो, एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर–मौजूदी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

परिशिष्ट–2

प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा पाठ्यचर्या के मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

1.1 प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा(डी.एल.एड) अध्यापक शिक्षा का दो वर्ष का व्यावसायिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था अर्थात कक्षा I से VIII तक के लिए अध्यापकों को तैयार करना है। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य समाज